न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	छायासिंह बनाम पुखराज मु.नं. 02/22 T.R.	

26.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01, 05, 06 को तामील जरिये अखबार साया हेतु राजस्थान पत्रिका न्यूज पेपर के संस्करण दिनांक 08.2.26 की प्रति पेश की। अप्रार्थी सं. 01, 05, 06 बावजूद अखबार साया तामील अनुपस्थित रहे। अत: इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I. दिनांक 17.3.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

17.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। ~~अब~~ पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 09.4.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

09.04.26 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2022	10.01.2022	09.04.2026

बउनवान

1. रायसिंह पुत्र मोहरपाल मीना, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा, जरिये कायम मुकाम

1/1. शांतिदेवी पत्नी स्व.रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/2. हेमा पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/3. उषा पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/4. करिश्मा पुत्र रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/5. काजल पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/6. निशा पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/7. पूजा पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/8. भावना पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/9. मोनिका पुत्री रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

1/10. हिमांशु पुत्र रायसिंह, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता शांति देवी निवासी कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. पुखराज पुत्र भबलू, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
2. रामसिंह पुत्र मोहरपाल, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
3. पृथ्वीराज पुत्र चिरंजी, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
4. चन्दरबाई पत्नि पृथ्वीराज,निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
5. कौशल्या पत्नि पूखराज, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
6. मगनी पत्नि मोहरपाल, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
7. चिरंजी पुत्र श्रीया, निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
8. राजेश पुत्र प्रभू निवासी कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा ।
10. उपपंजीयक बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री रामअवतारसिंह नरूका।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 02 लगा. 04, 07, 08 – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता संख्या 66 के खसरा सं. 118, 119, 120, 121, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 58, 580, 59, 59/1138, 60, 61, 64, कुल किता 24, कुल रकबा 2.82 हेक्टे., खाता सं. 68 के खसरा सं. 46 रकबा 0.01 हैक्टे., खाता सं. 78 के खसरा सं. 12, 13, 14, 16, 162, 163, 164, 17, 24, 25, 26, 33, 62, 704, 705, 706, कुल किता 16, कुल रकबा 2.79 हैक्टे., खाता सं. 67 के खसरा नंबर 11, 15, 160, 170, 171, 172, 18, 19, 20, 208, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 986, कुल किता 21, कुल रकबा 2.54 हैक्टे., खाता सं. 77 के खसरा सं. 707, 708, 709, 710, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 987, 988, 989, 990, कुल किता 14, कुल रकबा 3.15 हैक्टे. समस्त ग्राम कंचनपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। सायल एवं गैरसायल नंबर 1, 2 एवं वादपत्र के प्रतिवादी नंबर 14, 15, 20 एक संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य एक ही पूर्वज मोहरपाल की संतान है जिनका सजरा निम्नानुसार है –

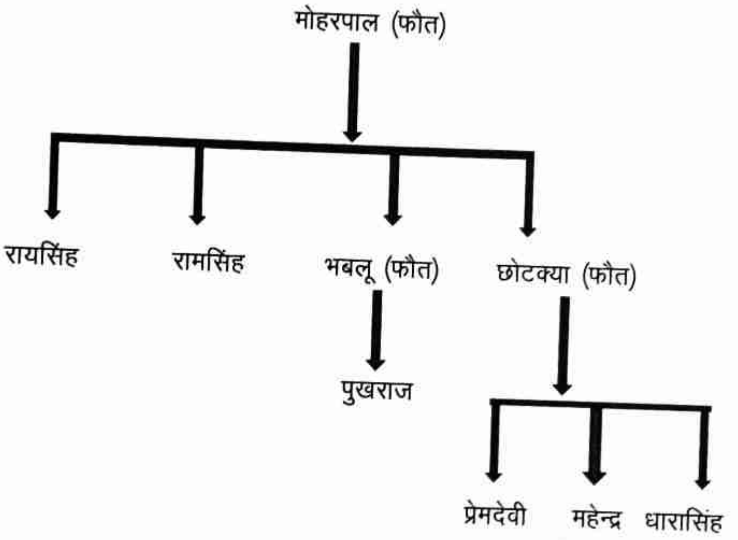

सायल एवं गैरसायल नंबर 1, 2 एवं वादपत्र के प्रतिवादी नंबर 14, 15, 20 ने अपनी आराजीयात पूर्वज मोहरपाल के जीवित रहते ही बाहमी बंटवारा कर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं करवाया था। सायल का हिस्सा खाता संख्या 66 में 1/20 खाता 68 में सायल का हिस्सा 1/12, खाता संख्या 78 में सायल हिस्सा 1/8, खाता सं. 67 में सायल का हिस्सा 1/8, खाता संख्या 77 में सायल का हिस्सा 1/8 निहित है। उसी के अनुसार सायल अपने हिस्से पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है। सायल ने अपनी पैतृक आराजी में निहित हक हकूकों को न तो किसी प्रकार त्याग किया है और न ही किसी प्रकार को छोडा है। आराजी वादग्रस्त में सायल कब्जा काश्त की बुवाई की गयी है जिसमें गैरसायलान के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण तो फसल में पानी नहीं देने दे रहे हैं और कह रहे कि फसल को हम ही काटेंगे। अगर सायल की फसल को जैसे तैसे कर्ज कर जुताई बुवाई की अगर गैरसायलान ने इस तरह से अपना कब्जा कर लिया तो सायल के बच्चे भूखे मर जावेगें। गैरसायलान काफी लोग हैं, सायल अकेला वृद्ध व्यक्ति है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि सायल के द्वारा भूमि खसरा सं. 118 पर अपना कब्जा काश्त बताता है जबकि उक्त भूमि को वादी के पूर्वजो के द्वारा अर्सा दराज सैकडो वर्ष पूर्व मिन प्रतिवादीगण सं. 07 व 08 के पूर्वजो से अदला बदली करके खसरा सं. 118 के स्थान पर खसरा सं. 113, रकबा 0.15 हैक्टे. भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2, 14, 15, 20 के बुजुर्गान ने प्राप्त कर ली थी। तभी से भूमि खसरा सं. 113 रकबा 0.15 हैक्टे. पर बुजुर्गान के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन भूमि खसरा सं. 118 रकबा 0.14, जो कि पहले उबड़ खाबड़ थी तथा नाकाबिल काश्त थी, जिसमें लाखो रूपये की मेहनत व लागत लगाकर काबिज काश्त बनायी तथा उक्त भूमि खसरा सं. 118 जो कि रास्ते के लगती हुयी आने से वादी के मन में बदयांति पैदा हो गयी जबकि मौके पर भूमि खसरा सं. 118 पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका सायल किसी भी प्रकार का कोई तकास्मा करवाने का अधिकारी नहीं है। दिनांक 20.12.2021 को सायल को कोई बिनाय दावा व बिनाय मुखास्तमत पैदा नहीं हुयी है क्योंकि खसरा सं. 118 पर वादी का कोई लेना देना सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। भूमि खसरा सं. 118 पर सायल का जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है सायल के द्वारा बिना कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुये ही दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। राजस्थान सरकार के नुमाईन्दो के विरूद्ध दावा पेश करने से दो माह पूर्व धारा 80 जा. दी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रार्थी के द्वारा अर्जेन्ट नेचर को बताते हुये दावा पेश किया लेकिन अर्जेन्ट नेचर की बाबत कोई प्रमाण/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण भूमि के खातेदार काश्तकार होने से उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा सं. 118 रकबा 0.14 हैक्टे. को अप्रार्थी सं. 07 व 08 के हक में छोड़ते हुये शेष भूमि का, यदि मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकास्मा कर दिया जाता है तो इसमें अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध *– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्यियन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उसकी पत्नि बच्चों को भी परेशान करने लगे हैं। गैरसायलान ने अपने खेतों में किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया जिससे उपजाऊ बने वादी मेहनत मजदूरी कर अपने खेतों को उपजाऊ बनाया है जिससे गैरसायलान के लालच आने लगा है, उस पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आराजी वादग्रस्त सायल की पैतृक आराजी है जो उन्हें विरासत से बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई है जिस पर लगभग 40 वर्षों से कब्जा काश्त है। अगर गैरसायलान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो सायल को अकथनीय क्षति होगी। दिनांक 20.12.2021 समय करीब 9 बजे सायल अपने हिस्से की आराजी के खसरा सं. 118 में फसल मे पानी देने गया था कि गैरसायलान हाथों में लाठी, फरसा लेकर बुरी–बुरी गाली गलौच देते हुये आ गये। आते ही सायल को पानी देने से पाईप हटा दिये, यहां से भगा दिया, धमकी देते कह रहे थे कि तुम इस खेत की तरफ देखना भी मत। तब प्रार्थी से गांव के पंच पटेलों को इक्कठा किया परन्तु किसी की नहीं मानी तो प्रार्थी ने कहा कि अपन राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा अनुसार बंटवारा करवा लेते हैं परन्तु बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिया, कह रहे थे कि हम तो खसरा सं. 118 में कब्जा करेगें। सायल ने कहा कि भाई पिता के जीवित रहते ही इस आराजी का बाहमी बंटवारा कर के गये, उसी अनुसार आज तक कब्जा काश्त हैं। मैंने इस आराजी को उपजाऊ बनाने में काफी पैसे लगाये हैं। तुम्हें अपने हिस्से में पैसा खर्च नहीं किया है। गैरसायलान लट्ठ वाले व झगडालू, प्रकृति के लोग हैं जो आये दिन झगडा कर शराब के नशे में आराजी में पानी नहीं देने देते है तथा दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं। अगर गैरसायलान अपनी धमकियों में कामयाब हो गये तो वादी को इन टर्मस ऑफ मनी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। सायल का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान को इस अमर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त विवादित आराजीयात सायल के हिस्से में आयी आराजीयात में गैरसायलान कब्जे काश्त एवं फसल में मजाहमत, मदाखलत नहीं करें तथा बिना तकास्मा राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं करें, रहन बेचान नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 10.01.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम कंचनपुरा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01, 05, 06, 09, 10 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थीगण सं. 02, 04, 07, 08 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत् 2076–79 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी/वादी संबद्ध वाद पत्र के जरिये विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। प्रार्थी के द्वारा वाद हेतुक दिनांक 20.12.2021 में खसरा सं. 118 में अप्रार्थीगण द्वारा लडाई–झगडा कर खेतों में पानी नहीं देने एवं कब्ज़ा कर लेने की धमकी देने का उल्लेख किया गया है, शेष खसरा सं. के बारे में प्रार्थी द्वारा वाद हेतुक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने भी खसरा सं. 118 को विवादित मानकर उसे छोडकर शेष भूमि को मौके व कब्जा अनुसार विधिवत तकास्मा करवाने निवेदन किया है। इससे स्पष्ट है कि सम्बद्ध वाद पत्र में केवल आराजी खसरा सं. 118 ही विवादित है। विवादित आराजी खसरा सं. 118 में वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण/सहखातेदार के द्वारा हिस्से का बेचान किया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। उक्त विवादित आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर कंचनपुरा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 118 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2022 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 118 में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से रूकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करे तथा मौके की स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)